(32)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3269-एक/2012 विरूद्ध आदेश दिनांक 19-6-2012 पारित द्वारा आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद, प्रकरण क्रमांक 88/अपील/2010-11

अमित वर्मा वल्द स्व0श्री सुदंरलाल वर्मा,
निवासी प्रताप वार्ड टिकारी बैतूल तहसील
जिला बैतूल म0प्र0 .....आवेदक

विरूद्ध

1-संतोष पाल वल्द श्री आर0आर0पाल
निवासी मोती वार्ड गोटी कॉलोनी बैतूल तहसील
जिला बैतूल
2-शेख आजाद वल्द शेख रसीद
निवासी आजाद वार्ड टिकारी बैतूल तहसील
जिला बैतूल म0प्र0
3-कृष्णबाई पति श्री आनंद वर्मा
निवासी कैलाश वार्ड लोहार मोहल्ला बैतूल बाजार
तहसील व जिला बैतूल .....अनावेदकगण

श्री जगदीश जैन, अभिभाषक, आवेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 5/12/18 **को पारित)**

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 19-6-2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि तहसीलदार के प्रकरण क्रमांक 35/अं-6/2019-10 में पारित आदेश दिनांक 30-4-2010 में मौजा टिकारी स्थित भूमि खसरा क्रमांक 904/14 रकबा 1.024 हेक्टेयर भूमि को रजिस्टर्ड बैनामा क्रमांक 4362 दिनांक 22-3-2010 के आधार पर अनावेदकपक्ष का नामान्तरण संहिता की धारा 109-110 के तहत स्वीकार किया गया। तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 14-3-2011 को आदेश पारित कर प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील आयुक्त के समक्ष किये जाने पर आयुक्त द्वारा दिनांक 19-6-2012 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया जाकर तहसील न्यायालय का आदेश स्थिर रखते हुये अपील स्वीकार की गई । आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्को में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :-

(1) व्यवहार न्यायालय के निर्णय एवं जयपत्र के पालन में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण प्रत्यावर्तित करने में वैधानिक कार्यवाही की गई थी, परन्तु आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का वैधानिक आदेश निरस्त करने में भूल की गई है ।

(2) अधीनस्थ न्यायालय को नामान्तरण प्रक्रिया के तहत दस्तावेजों का मूल्यांकन करने का पूर्ण अधिकारी है । मूल्यांकन उपरांत यदि कोई व्यक्ति अपने हक से अधिक भूमि का हस्तान्तरण करता है तो ऐसी स्थिति में अधिक भूमि का हस्तान्तरण करता है तो ऐसी स्थिति में अपीलीय न्यायालय को उसे किये गये नामान्तरण को रद्द करने की पूर्ण अधिकारिता है, फिर भी अधीनस्थ अपीलीय आयुक्त न्यायालय द्वारा अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण प्रत्यावर्तित करने के आदेश को निरस्त करने में भूल की गई है, जो स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

(3) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विक्रेता कृष्णाबाई जो अधीनस्थ तहसीलदार न्यायालय एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय में पक्षकार थी वह आवश्यक एवं विवादित सम्पत्ति में हितबद्ध

पक्षकार होने पर भी आयुक्त के समक्ष अपील में अनावेदक द्वारा पक्षकार नहीं बनाये जाने में आयुक्त द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

4/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । प्रकरण में तथ्यों/अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय ने पूर्व बंटवारा निरस्त कर दिनांक 29-7-2011 का नया बंटवारा आदेश दिया जिसमें अनावेदक कृष्णा को सर्वे नम्बर 904/14 का 0.391 हेक्टेयर हिस्सा ही दिया है । स्पष्ट है कि प्रथमदृष्टया कृष्णा को इतना ही हिस्सा बेचने का अधिकार था । इस परिप्रेक्ष्य में अनुविभागीय अधिकारी ने सही ही प्रकरण प्रत्यावतित किया था कि सभी पक्षों को पूर्ण सुनवाई कर पुन: आदेश दिया जावे । आयुक्त ने तहसील न्यायालय में हुये दूसरे बंटवारे के तथ्य की अनदेखी की है अत: उनका आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 19-6-2012 निरस्त किया जाता है । निगरानी स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर